[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

No.F.9/3/2018-U.3 (A)
Government of India
Ministry of Education

Department of Higher Education ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi Dated: 09 November, 2020

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University.

- 2. And whereas, an application was received on 20.08.2019 for grant of Deemed to be University status (under De-novo category) to National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan (NIA) under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 3. And whereas, the application was forwarded to UGC for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
- 4. And whereas, UGC constituted an Expert Committee to recommend whether the application of National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan may be considered under de-novo category. The Expert Committee held in its meeting on 25th November, 2019 recommended that National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rajasthan) may be issued the letter of Intent (LoI) by the Government of India with the condition that the institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the following departments and also recruit faculty with the qualifications as per the norms of Central Council of Indian Medicine (CCIM):
 - (i) Department of Ayurveda Manuscriptology
 - (ii) Department of Ayur-yoga Preventive Cardiology
 - (iii) Department Marma Chikitsa and Sports Medicine
 - (iv) Department of Vrikshayurveda (Preservation, Cultivation, Development)
 - (v) Department of Ayurveda Diet and Nutrition (Poshanhar)
 - (vi) Department of Saundarya Ayurveda
- 5. And whereas, the above recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 545th Meeting held on 19.12.2019.
- 6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government issued letter of Intent (LOI) valid for a period of three years to the National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rajasthan) with the condition that the Institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the above six departments and also recruit faculty with the qualifications as per the norms of CCIM.

- 7. And further whereas, the institute had submitted the compliance with regard to the conditions mentioned in LoI. The compliance report was forwarded to UGC for examining and sending its comments to this Ministry. In response, UGC sent its comments that the National Institute of Ayurveda has fulfilled the conditions stipulated in the LoI.
- 8. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC and its further clarification on the compliance report of National Institute of Ayurveda, Jaipur, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan as an Institution deemed to be University under De-novo category for a provisional period of five years subject to conditions that National Institute of Ayurveda shall recruit the required number of faculty as per the norms of UGC and CCIM before starting academic activities and adhere to the conditions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
- 9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No.3 of the endorsement to this Notification;

(Kamini Chauhah Ratan)

Joint Secretary to the Government of India

Tel: 011-23382433

The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, Delhi – 110064.

Copy forwarded to: -

- 1. The Secretary, UGC, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002
- 2. The Principal Secretary (Higher & Technical Education), State Government of Rajasthan Block-IV, Dr. S. Radhakrishnan Shiksha Sankul, Jawahar Lai Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan 302015
- 3. Prof. Sanjeev Sharma, Director, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan, Jorawar Singh Gate, Amer Road Jaipur-302002. The declaration as made in Para 8 of this Notification shall be further subject to compliance with / fulfillment of the conditions contained in relevant rules and regulations issued from time to time by UGC and Statutory body /bodies as the case may be.
- 4. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
- 5. The Secretary, Central Council of Indian Medicin (CCIM), Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avam Homoeopathy Anusandhan Bhawan, 61-65, Institutional Area, Janakpuri "D" Block, New Delhi-110058.
- 6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi 110002.

- 7. The Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
- 8. Guard file / Notification file.

(Kamini Chauhan Ratan)
Joint Secretary to the Government of India

Tel: 011-23382433

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ) एफ.सं. 9-3/2018-यू.3(ए)

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 09 नवंबर, 2020

अधिस्चना

जबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को यूजीसी की सलाह पर एक उच्चतर अधिगम संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

- 2. और जबिक, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राजस्थान (एनआईए) को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा (डी-नोवो श्रेणी के तहत) प्रदान करने के लिए दिनांक 20.08.2019 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था।
- 3. और जबिक, यूजीसी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2019 के अनुसार जांच और सलाह के लिए आवेदन यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।
- 4. और जबिक, यूजीसी ने यह सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ सिमिति का गठन किया था कि क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान के आवेदन पर डी-नोवो श्रेणी के तहत विचार किया जा सकता है। विशेषज्ञ सिमिति ने 25 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) को इस शर्त के साथ, भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है कि संस्थान निम्निखित विभागों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा और केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद (सीसीआईएम) के मानकों के अनुसार योग्यता वाले संकायों की भर्ती भी करेगा:
 - i. आयुर्वेद हस्तिनिषि विज्ञान विभाग
 - ii. आयुर-योगा प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी विभाग
 - iii. मर्म चिकित्सा और खेल औषधि विभाग
 - iv. वृक्षायुर्वेद (परिरक्षण, कृषि, विकास) विभाग
 - v. आयुर्वेद डाइट और न्यूट्रिशन (पोषणहार) विभाग
 - vi. सौंदर्य आयुर्वेद विभाग

- 5. और जबिक, आयोग द्वारा दिनांक 19.12.2019 को आयोजित अपनी 545वीं बैठक में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया गया और मंजूरी दी गई थी।
- 6. और जबिक, यूजीसी की सलाह पर ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार ने इस शर्त के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) को तीन वर्ष की अविध के लिए वैध आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था कि संस्थान उपर्युक्त छह विभागों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा और सीसीआईएम के मानकों के अनुसार योग्यता वाले संकायों की भर्ती करेगा।
- 7. और इसके अतिरिक्त जबिक, संस्थान ने आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालना प्रस्तुत कर दी है। अनुपालना रिपोर्ट जांच हेतु और इस मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए यूजीसी को अग्रेषित कर दी गई थी। इसके उत्तर में यूजीसी ने अपनी टिप्पणी भेजी है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आशय पत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।
- 8. अब अतः, यूजीसी की सलाह तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की अनुपालना रिपोर्ट के संबंध में इसके आगे के स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा इन शतों के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान को पांच वर्षों की अनंतिम अविध के लिए डी-नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा करती है कि अकादिमक गतिविधियों को शुरू करने से पहले और यूजीसी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2019 में शामिल शतों का पालन करते हुए यूजीसी और सीसीआईएम के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान संकायों की अपेक्षित संख्या भर्ती करेगा।
- 9. उपर्युक्त पैरा 8 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है।

(कामिनी चौहान रतन) संयुक्त सचिव, भारत सरकार दूरभाषः011-23382433

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी दिल्ली-110064

प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. सचिव, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
- 2. प्रधान सचिव (उच्चतर और तकनीकी शिक्षा), राजस्थान राज्य सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302015.
- 3. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड,जयपुर-302002. इस अधिसूचना के पैरा 8 में की गई घोषणा, यूजीसी और सांविधिक निकाय/निकायों द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों/विनियमों में शामिल शर्तों की अनुपालना/पूरा करने के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो।
- 4. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
- 5. सचिव, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद (सीसीआईएम), जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी 'डी' ब्लॉक, नई दिल्ली-110058.
- 6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाऊस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
- 7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना के प्रदर्शन के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध सहित।
- 8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

(कामिनी चौहान रतन) संयुक्त सचिव, भारत सरकार दूरभाषः011-23382433